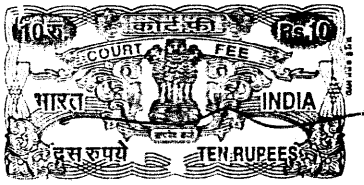

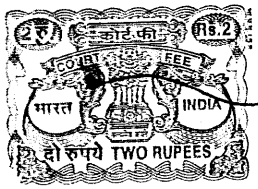

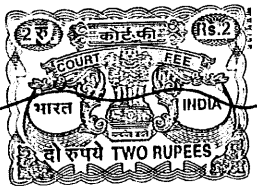

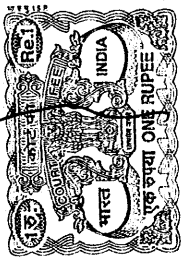

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE INDIA ONE RUPEE एक रुपया

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2012- निगरानी

R 1811-I/12

शिव प्रताप शर्मा उर्फ श्यो प्रसाद पुत्र स्व० श्री मिठ्ठ लाल शर्मा, निवासी वार्ड नं०-१४, त्यागी चौक, अम्बाह, जिला मुरैना(म०प्र० ।

------- प्रार्थी

विरुध्द

१- डा० रामनिवास गुप्ता पुत्र जौहरी,

२- श्रीमती मनोरमा गुप्ता पत्नी डा०रामनिवास गुप्ता, निवासीगण वार्ड नं०-८, सुभाषरोड, अम्बाह, जिला मुरैना (म०प्र०) ।

21/6/12

३- रामरतन पुत्र स्व० श्री सूबालाल, निवासी वार्ड नं०-१४, गांधी मार्ग, अम्बाह, जिला मुरैना, (मध्यप्रदेश) ।

४- रामप्रकाश त्यागी पुत्र स्व० श्री अमर सिंह त्यागी, निवासी वार्ड नं० १४, त्यागी चौक, अम्बाह, जिला मुरैना (म०प्र०) ।

K.D. Dixit. Advocate 21/6/012

५- जगदीश त्यागी पुत्र स्व० श्री अमर सिंह त्यागी निवासी वार्ड नं०-१४, त्यागी चौक अम्बाह, जिला मुरैना (म०प्र०) ।

६- श्रीमती प्रेमाबाई पत्नी स्व० श्री रामबाबू त्यागी, निवासी वार्ड नं० १४, त्यागी चौक, अम्बाह जिला मुरैना(म०प्र०) ।

७- श्रीमती मीना त्यागी पत्नी स्व० श्री रामबाबू त्यागी, निवासी ३०।बी, गोविन्दपुरी, सिटी सेन्टर, ग्वालियर ।

८- श्रीमती आनन्दी बाई पुत्री स्व० श्री सूबालाल

पत्नी स्व० श्री पूजाराम त्यागी, निवासी उदयपुरा
खालसा पी० मदरौली, तहसील बाह जिला आगरा-उ०प्र०।
---प्रतिप्रार्थी गण ।

तहसीलदार महोदय तहसील अम्बाह जिला मुरैना द्वारा नामान्तरण प्रकरण क्रमांक ३५।११ज१२-अ-६ में की जा रही कार्यवाही एवं आदेश पत्रिका दिनांकी ४-५-१२ तथा २८-५-१२ के विरुध्द निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में की जा रही कार्यवाही अधिकार विहीन अवैधानिक, अनियमित एवं विधिविधान की प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी ने भू-राजस्व संहिता की धारा ११९(३) व (४) तथा नियम२७ का पालन न होने संबंधी आपत्ति की है । इन प्रावधानों का पालन कानूनन मेन्डेटरी है, तथा आपत्तियों से क्षेत्राधिकार भी प्रभावित होता है, किन्तु तहसीलदार महोदय ने आदेश पत्रिका दिनांकी ४-५-१२ में आपत्ति एवं आवेदन पत्रों का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के साथ किये जाने का आदेश दिया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है ।

३- यह कि, वैधानिक एवं क्षेत्राधिकार तथा प्रक्रिया संबंधी आपत्तियों का निराकरण सर्वप्रथम किया जाना चाहिये । कानून के इस सर्वमान्य सिध्दान्त का वर्तमान प्रकरण में पालन नहीं किया जा रहा है ।

४- यह कि, प्रकरण में न तो विधिवत् जांच ही की जा रही है और न ही प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर ही दिया गया है।

५- यह कि, जब विवादित भूमि के स्वत्व के सम्बन्ध में माननीय दीवानी न्यायालय में प्रकरण लम्बित है, तब राजस्व न्यायालयों

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

निगरानी प्रकरण कमांक 1811–एक/2012 जिला मुरैना

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
19-1-16	यह निगरानी तहसीलदार अम्वाह जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 35/2011 –12 अ–6 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4–5–12 तथा 28–5–12 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ तहसीलदार अम्वाह के अंतरिम आदेश दिनांक 4–5–12 के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उभय पक्ष के बीच प्रचलित नामान्तरण प्रकरण में पेशी 4–5–12 को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर आपत्तिकर्ता ने जवाव देने के बजाय पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्रों के निराकरण की मांग रखी। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 4–5–12 से निर्णय लिया कि प्रकरण में मूल दस्तावेज पेश न होने से आपत्ति के आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं किया जा सकता है। अतः आपत्तिकर्ता के आवेदन पत्रों का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के साथ किया जावेगा। तहसीलदार अम्वाह के इसी अंतरिम आदेश को निगरानी में चुनौती दी गई है। प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब तहसीलदार के समक्ष आपत्तिकर्ता ने आपत्ति प्रस्तुत की है एंव द्वित्तीय पक्ष उपस्थित है एंव प्रकरण में पैरबी कर रहा है तहसीलदार का दायित्व था कि अंतिम निराकरण के पूर्व ही यथासमय उन्हें आपत्ति का निराकरण करना चाहिये , किन्तु उन्होंने ऐसा न करके प्रकियात्मक त्रृटि की है जिसके कारण तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनॉक 4–5–12 सॅशोधन योग्य है। 3/ तहसीलदार अम्वाह के अंतरिम आदेश दिनांक 28–5–12 की स्थिति यह है कि प्रकरण पेशी से उतरने के वाद नम्बर पर लिया जाकर इस दिन आपत्ति कर्ता

अभिभाषक व्दारा साक्ष्य पेश नहीं करने से आपत्तिकर्ता की साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है एंव आवेदक की साक्ष्य के लिये पेशी नियत की गई है जिस पर आपत्तिकर्ता ने प्रकरण तहसीलदार के न्यायालय से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित कराने की मंशा व्यक्त करने के वाद भी प्रकरण आवेदक की साक्ष्य के लिये 31–5–12 को लगाया गया है।

प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया तहसीलदार का यह निर्णय न्यायिक प्रकिया के विरूद्व होना प्रतीत होता है क्योंकि जब प्रकरण पूर्व से पेशी पर से उतरा हुआ था एंव दिनांक 28–5–12 को गिरदावरी में लिया गया है तब आपत्तिकर्ता यकायक साक्ष्य कैसे प्रस्तुत करेगा, तहसीलदार का अंतरिम आदेश व्दारा लिया गया निर्णय उचित नहीं है, जिसके कारण तहसीलदार के निर्णय दिनांक 28–5–12 को भी स्थिर रखा जाना उचित नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार अम्वाह व्दारा प्रकरण कमांक 35/2011–12 अ–6 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4–5–12 , दिनांक 28–5–12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि तहसील न्यायालय में नामान्तरण प्रकरण दिनांक 22–2–12 को पंजीबद्व हुआ है जिसे व्यतीत हुये 4 वर्ष 9 माह से अधिक समय हो चुका है अतएव तहसीलदार अम्वाह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नामांत्रण प्रकरण कमांक 35/2011 –12 अ–6 का 90 दिवस के भीतर विधिवत् निराकरण करें।

सदस्य